मूल वाद में अन्तिम डिक्री

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी निम्बाहेड़ा

पीठासीन अधिकारीः– पंकज शर्मा, RAS

प्रकरण सं. 105/2010 वाद

राधाकिशन पिता उदा माली, निवासी निम्बाहेड़ा मृतक के बजाय–
1–रमेशचन्द्र पिता राधाकिशन माली, आयु 60 साल, निवासी निम्बाहेड़ा।
2–गोवर्धनलाल पिता राधाकिशन माली, आयु 52 साल, निवासी निम्बाहेड़ा।
– वादी

//बनाम//

1. नन्दराम पिता हेमा भांबी, आयु 68 साल, निवासी पेंच का पुरा, तहसील निम्बाहेड़ा।
2. रमेशचन्द्र पिता नन्दराम भांबी, आयु 42 साल, निवासी पेंच का पुरा, तहसील निम्बाहेड़ा।
3. संजय पिता रमेश भांबी, आयु 25 साल, निवासी पेंच का पुरा, तहसील निम्बाहेड़ा।
4. तहसीलदार पदेन उप पंजीयक, निम्बाहेड़ा, तहसील निम्बाहेड़ा।

– प्रतिवादीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दावा

अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 रा.का.अधि.

प्रकरण में वादी की ओर से अधिवक्ता श्री रवि कुमावत तथा प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री नरेन्द्र वैष्णव की उपस्थिति में आज दिनांक को पत्रावली अन्तिम बहस हेतु प्रस्तुत होने पर आदेश दिया जाता है कि वाद वादी कतई डिक्री किया जाता है। वाके मौजा निम्बाहेड़ा की खाता संख्या 390 की आराजी नं. 276, 2006/291 कुल किता 2 कुल रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा भूमि वादीगण रमेशचन्द्र एवं गोवर्धनलाल पिता राधाकिशन माली की खातेदारी की घोषित की जाती है। वादीगण को आदेश दिया जाता है कि वादीगण उक्त भूमि की हस्तान्तरण के समय प्रचलित दर से नियमानुसार मुद्रांकित करवाने के लिए सम्बन्धित विभाग में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दस्तावेज को मुद्रांकित करवा रसीद/प्रमाण पत्र तहसीलदार, निम्बाहेड़ा को पेश करें। तहसीलदार निम्बाहेड़ा को आदेश दिये जाते हैं कि वादी द्वारा उक्त भूमि पर देय स्टाम्प ड्यूटी एवं अन्य देय शुल्क राजकोष में जमा कराये जाकर रसीद प्रस्तुत करने पर ही विवादित भूमि को प्रतिवादीगण के बजाय वादी की खातेदारी में दर्ज किया जावे तथा प्रतिवादीगण का नाम विलोपित किया जावे।

यह आज तारीख 27.08.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Sharma
Date: 2020.03.14 15:12:11 IST
Reason: SelfAttested